



The Chhattisgarh Electricity Duty (Amendment) Act, 2021

Act No. 11 of 2021

Amendment appended: 17 of 2022

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 310]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 2 जून 2021 — ज्येष्ठ 12, शक 1943

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 2 जून 2021

क्रमांक 5473/डी. 57/21-अ/प्रारू./छ.ग./21. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 11-05-2021 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार काटिया, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 11 सन् 2021)

छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क (संशोधन) अधिनियम, 2021

छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क अधिनियम, 1949 (क्र. 10 सन् 1949) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल के द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क (संशोधन) अधिनियम, 2021 कहलाएगा.
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर होगा.
- (3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 5 का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क अधिनियम, 1949 (क्र. 10 सन् 1949) की धारा 5 की उप-धारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :-

“(3) अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, मुख्य विद्युत निरीक्षक इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग और अपने कृत्यों का पालन करने में, किसी व्यक्ति, अधिकारी या प्राधिकारी को लिखित रूप में, ऐसे विद्युत उत्पादन केन्द्र जिसका विद्युत शुल्क और उस पर अधिभारित ब्याज की राशि का भुगतान बकाया है, को विद्युत लाइन से पृथक करने हेतु निर्देश दे सकेगा और ऐसा व्यक्ति, अधिकारी या प्राधिकारी ऐसे निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य होगा.”

स्पष्टीकरण :-

1. इस धारा के प्रयोजन हेतु अधिनियम से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क अधिनियम, 1949 (क्र. 10 सन् 1949) हैं.
2. मुख्य विद्युत निरीक्षक का अर्थ वही होगा, जैसा कि विद्युत अधिनियम 2003 (क्र. 36 सन् 2003) की धारा-2 की उपधारा-21 में है.
3. उत्पादन केन्द्र का अर्थ वही होगा, जैसा कि विद्युत अधिनियम 2003 (क्र. 36 सन् 2003) की धारा-2 की उपधारा-30 में है.
4. विद्युत लाइन का अर्थ वही होगा, जैसा कि विद्युत अधिनियम 2003 (क्र. 36 सन् 2003) की धारा-2 की उपधारा-20 में है.

अटल नगर, दिनांक 2 जून 2021

क्रमांक 5473/डी. 57/21-अ/प्रारू./छ.ग./21. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क (संशोधन) अधिनियम, 2021 (क्रमांक 11 सन् 2021) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार काटिया, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 11 of 2021)

THE CHHATTISGARH ELECTRICITY DUTY (SANSHODHAN)
ACT, 2021

An Act further to amend the Chhattisgarh Electricity Duty Act, 1949 (No. X of 1949).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Seventy Second Year of the Republic of India, as follows :-

- | | | |
|----|---|--|
| 1. | (1) This Act may be called the Chhattisgarh Electricity Duty (Sanshodhan) Act, 2021 | Short title, extent and commencement. |
| | (2) It shall extend to the whole State of Chhattisgarh. | |
| | (3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette. | |
| 2. | After sub-section (2) of Section 5 of the Chhattisgarh Electricity Duty Act, 1949 (No. X of 1949), the following shall be added, namely :-

“(3) Notwithstanding anything contained in the Act, Chief Electrical Inspector, in the exercise of its power and performance of its function under this Act shall issue direction to any person, officer or authority to disconnect from electric line, any such electricity generating station, against which payments of electricity duty and amounts of interest imposed thereon is due and such person, officer or authority shall be bound to comply with such directions. | Amendment of Section 5. |
| | Explanation :-

(1) For the purpose of this Section, ‘Act’ means Chhattisgarh Electricity Duty Act, 1949 (No. X of 1949).
(2) “Chief Electricity Inspector” shall have the same meaning as defined under sub-section (21) of Section (2) of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003).
(3) “Generating station”, shall have the same meaning as defined under sub-section (30) of Section 2 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003).
(4) “Electric line” shall have the same meaning as defined under sub-section (20) of Section 2 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003).” | |

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 609]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 11 अक्टूबर 2022 — आश्विन 19, शक 1944

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 11 अक्टूबर 2022

क्रमांक 11026/डी. 101/21-अ/प्रारू./छ. ग./22. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक 29-09-2022 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार काटिया, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 17 सन् 2022)

छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क (संशोधन) अधिनियम, 2022.

छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क अधिनियम, 1949 (क्र. 10 सन् 1949) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

संक्षिप्त नाम, 1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क (संशोधन) अधिनियम, 2022 विस्तार तथा प्रारंभ. कहलाएगा।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर होगा।

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

अनुसूची का 2. अनुसूची के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित किया जाये, संशोधन. अर्थात्:-

"अनुसूची
(धारा 3 देखिए)
शुल्क की दरें
भाग-क
(धारा 3 (1) (अ) देखिये)

स. क्र.	उपभोक्ता की श्रेणी	उपभोग किया गया विद्युत (यूनिट में)	टैरिफ आदेश में अधिसूचित ऊर्जा प्रभारों के प्रतिशत में शुल्क की दरें
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	घरेलू उपभोक्ता	उपभोग किये गये सभी यूनिटों पर	11 प्रतिशत
2.	गैर घरेलू उपभोक्ता	उपभोग किये गये सभी यूनिटों पर	17 प्रतिशत
3.	खाने (सीमेंट उद्योगों की कैप्टिव खानों से भिन्न)	उपभोग किये गये सभी यूनिटों पर	56 प्रतिशत
4.	सीमेंट उद्योग (जिसके अंतर्गत उसकी कैप्टिव खाने भी हैं)	उपभोग किये गये सभी यूनिटों पर	21 प्रतिशत
5.	25 अश्व शक्ति तक के एल टी उद्योग	उपभोग किये गये सभी यूनिटों पर	04 प्रतिशत
6.	25 अश्व शक्ति से ऊपर किन्तु 75 अश्व शक्ति तक के एलटी उद्योग	उपभोग किये गये सभी यूनिटों पर	05 प्रतिशत
7.	75 अश्व शक्ति से ऊपर किन्तु 100 अश्व शक्ति तक के एलटी उद्योग	उपभोग किये गये सभी यूनिटों पर	07 प्रतिशत

8.	100 अश्व शक्ति से ऊपर किन्तु 150 अश्व शक्ति तक के एलटी उद्योग	उपभोग किये गये सभी यूनिटों पर	08 प्रतिशत
9.	150 अश्व शक्ति से अधिक के अन्य एलटी उद्योग, जो ऊपर सम्मिलित नहीं हैं और 150 अश्व शक्ति तक के स्टोन क्रशर	उपभोग किये गये सभी यूनिटों पर	14 प्रतिशत
10.	ऐसे मिनी स्टील प्लांट एवं फेरो एलॉयज इकाईयां, जिनकी उत्पादन क्षमता 2 मिलियन टन प्रतिवर्ष (एमटीपीए) तक है, जो छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित से विद्युत प्राप्त कर रहे हों तथा 20 एम.व्ही.ए तक के सभी इस्पात संयंत्र, रोलिंग मिल, स्पंज आयरन प्लांट, फेरो एलाय स्टील कास्टिंग, इंटिग्रेटेड स्टील प्लांट, राईस/दाल मिल, साल्वेंट प्लांट, लघु एवं मध्यम उद्योग, जिसमें विनिर्माण इकाईयां, पोल्ट्री फार्म, एग्रीकल्चर, एलाईड और अन्य कनेक्शन सम्मिलित है, जो छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित या अन्य लाइसेंसधारी से विद्युत प्राप्त कर रहे हों	उपभोग किए गए सभी यूनिटों पर	08 प्रतिशत।
11.	पावर लूम, आटा चक्कियां, आईल एक्सपेलर, थ्रेसर एवं कृषि प्रसंस्करण के उपयोग में आने वाली वैसी ही अन्य मशीनरी	उपभोग किये गये सभी यूनिटों पर	04 प्रतिशत।
12.	टैक्सटाईल मिले, वीविंग मिले तथा स्पीनिंग मिले	उपभोग किये गये सभी यूनिटों पर	14 प्रतिशत।
13.	ऐसे सभी उपभोक्ता, जो 20 एम0व्ही0ए0 से अधिक भार से संबंधित है और जो ऊपर उल्लिखित किसी भी समूह में सम्मिलित नहीं है तथा 150 अश्व शक्ति से अधिक भार के गैर-औद्योगिक उपभोक्ता (जिसमें घरेलू एवं गैर-घरेलू उपभोक्ता सम्मिलित है) शॉपिंग मॉल, अन्य सामान्य प्रयोजन उच्चदाब उपभोक्ता एवं 150 अश्वशक्ति से अधिक भार वाले सभी स्टोन क्रशर	उपभोग किए गए सभी यूनिटों पर	28 प्रतिशत।

14.	ऐसे उपभोक्ता, जो उपरोक्त श्रेणीयों में से किसी भी श्रेणी के अंतर्गत सम्मिलित प्रयोजनों के लिये अपने स्वयं के उपभोग के लिये ऊर्जा का उत्पादन करते हैं	स्वयं के उपभोग की संपूर्ण यूनिट पर	अनूसूची की उच्चतम दर अनुसार।
15.	किसी ऐसे प्रयोजन के लिये उपभोग के लिये बेची गई या प्रदाय की गई विद्युत ऊर्जा, चाहे वह, यथास्थिति, विद्युत ऊर्जा के वितरक या विद्युत उत्पादक की सहमति के बिना, पूर्णतः या अंशतः उपयोग में लाई जाती है	यथास्थिति, बेची गई या प्रदाय की गई या उपभोग की गई संपूर्ण यूनिटों पर	अनूसूची की उच्चतम दर अनुसार।

भाग-ख
(धारा 3 (1) (ब) देखिये)

स. क्र.	उपभोक्ता की श्रेणी	उपभोग किया गया विद्युत (यूनिट में)	टैरिफ आदेश में अधिसूचित ऊर्जा प्रभारों के प्रतिशत में शुल्क की दरें
(1)	(2)	(3)	(4)
16.	राज्य के बाहर से खुली पहुंच के माध्यम से अभिप्राप्त विद्युत के उपभोग के लिये	खुली पहुंच से अभिप्राप्त संपूर्ण यूनिटों पर	शुल्क की दरें इस प्रकार संगणित की जायेगी, जैसा कि विद्युत का प्रदाय, वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किया गया हो।

भाग-ग
(धारा 3 (1) (स) देखिये)

स. क्र.	उपभोक्ता की श्रेणी	उपभोग किया गया विद्युत (यूनिट में)	टैरिफ आदेश में अधिसूचित ऊर्जा प्रभारों के प्रतिशत में शुल्क की दरें
(1)	(2)	(3)	(4)
17.	उत्पादन कंपनी, केप्टिव उत्पादक संयंत्र तथा उत्पादक द्वारा राज्य के स्वामित्व वाले वितरण तथा व्यापारिक अनुज्ञप्तिधारी को बेचा गया या प्रदाय किया गया विद्युत	प्रदाय की गई या बेची गई संपूर्ण यूनिटों पर	7 पैसे प्रति यूनिट।
18.	उत्पादन कंपनी, केप्टिव उत्पादक संयंत्र तथा उत्पादक द्वारा राज्य में किसी अन्य उपभोक्ता को बेचा गया या प्रदाय किया गया विद्युत	प्रदाय की गई या बेची गई संपूर्ण यूनिटों पर	शुल्क की दरें उसी प्रकार होंगी, जैसे कि विद्युत का प्रदाय, वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ता को किया गया हो।

19.	उत्पादन कंपनी, केप्टिव उत्पादक संयंत्र तथा उत्पादक द्वारा उपभोग किये गये तथा उनके सहायक उपभोग के लिये तथा उनके स्वयं के उपभोग हेतु विद्युत के लिये।	स्वयं के उपभोग की गई संपूर्ण यूनिटों पर, जिसमें सहायक खपत सम्मिलित हो	टैरिफ का 21 प्रतिशत, जो कि लागू होता, यदि विद्युत का प्रदाय, वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किया गया होता।
20.	ऐसे सभी स्टील संयंत्र, जो 2 मिलियन टन प्रतिवर्ष (एमटीपीए) से कम उत्पादन क्षमता रखते हों, जो स्वयं के केप्टिव पॉवर प्लांट से उत्पादित बिजली का उपभोग अपने स्टील इकाई के लिए कर रहे हों।	उपभोग किए गए सभी यूनिटों पर	21 पैसे प्रति यूनिट।
21.	ऐसे सभी स्टील संयंत्र, जो 2 मिलियन टन प्रतिवर्ष से कम उत्पादन क्षमता रखते हों, में स्थापित केप्टिव पॉवर प्लांट के सहायक उपभोग पर	उपभोग किए गए सभी यूनिटों पर	44 पैसे प्रति यूनिट।
22.	ऐसे सभी स्टील संयंत्र, जो 2 मिलियन टन प्रतिवर्ष (एमटीपीए) से अधिक उत्पादन क्षमता रखते हों, जो स्वयं के केप्टिव पॉवर प्लांट से उत्पादित बिजली का उपभोग स्वयं के स्टील इकाई में कर रहे हों तथा केप्टिव पॉवर प्लांट के सहायक उपभोग पर	उपभोग किए गए सभी यूनिटों पर	66 पैसे प्रति यूनिट।
23.	राज्य के निजी/सार्वजनिक क्षेत्र के ऐसे उत्पादन कंपनी, केप्टिव विद्युत उत्पादक संयंत्र तथा उत्पादक, जो राज्य को एनर्जी (वेरिफेबल) कॉस्ट पर बिजली की आपूर्ति नहीं कर रही है, के द्वारा उपभोग, उनके सहायक उपभोग एवं उनके स्वयं के उपभोग हेतु विद्युत के लिए	उपभोग किए गए सभी यूनिटों पर	टैरिफ आदेश में दर्शित एवरेज कॉस्ट ऑफ सप्लाई की दर का 21 प्रतिशत।
24.	राज्य के निजी/ सार्वजनिक क्षेत्र के ऐसे उत्पादन कंपनी, केप्टिव विद्युत उत्पादक संयंत्र तथा उत्पादक, जो राज्य को एनर्जी (वेरिफेबल) कॉस्ट पर बिजली की आपूर्ति कर रही है, के द्वारा उपभोग, उनके सहायक उपभोग एवं उनके स्वयं के उपभोग हेतु विद्युत के लिए	उपभोग किए गए सभी यूनिटों पर	30 सितम्बर 2022 तक एवरेज कॉस्ट ऑफ सप्लाई का 21 प्रतिशत, तत्पश्चात 01 अक्टूबर 2022 अथवा वाणिज्यिक उत्पादन की तारीख, जो भी बाद में हो, से 12 वर्ष तक टैरिफ आदेश में एवरेज कॉस्ट ऑफ सप्लाई का 14 प्रतिशत तथा तत्पश्चात एवरेज कॉस्ट ऑफ सप्लाई का तत्समय प्रवृत्त दर से।

टीप -

1. "बिलिंग माह या माह" से अभिप्रेत हैं बिलिंग के प्रयोजनार्थ प्रत्येक माह बिलिंग के प्रकरण में दो कमवर्ती मीटर वाचन के मध्य को लगभग 30 दिवस की अवधि।
2. "खान" का वही अर्थ होगा जो खान अधिनियम, 1952 (क्र. 36 सन् 1952) की धारा 2 के खण्ड (ज) में परिभाषित है और उसके अंतर्गत परिसर या खान में तथा उससे लगे हुये स्थान में स्थित वे मशीन भी शामिल हैं, जिनका उपयोग खनिज को चूरा करने, उसका प्रसंस्करण करने, उपचार करने या परिवहन करने में होता है।
3. "टैरिफ" से अभिप्रेत है ऊर्जा की दर, जो विद्युत अधिनियम, 2003 (क्र. 36 सन् 2003) की धारा 86 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के द्वारा अवधारित किया जाता है।
4. विद्युत शुल्क की संगणना एक मास में टैरिफ की वास्तविक प्रतिशतता के आधार पर की जायेगी। जहां तक 50 पैसे के अंश का संबंध है, 50 पैसे या उससे अधिक के किसी भी भाग को उसके निकटतम उच्चतर रूपों तक पूर्णांकित किया जायेगा और 50 पैसे से कम के भाग को छोड़ दिया जायेगा।
5. निजी विद्युत उत्पादक को रियायत की पात्रता:- सरल क्रमांक 24 में सम्मिलित निजी क्षेत्र के ऐसे विद्युत उत्पादक, जिन पर सहायक उपभोग पर देय विद्युत शुल्क की राशि बकाया है, तो उन्हें 01 अक्टूबर, 2022 अथवा वाणिज्यिक उत्पादन की तारीख, जो भी बाद में हो, से 12 वर्ष तक एवरेज कॉस्ट ऑफ सप्लाई का 14 प्रतिशत तत्पश्चात एवरेज कॉस्ट ऑफ सप्लाई की दर का तत्समय प्रवृत्त दर से विद्युत शुल्क के भुगतान की सुविधा, इसके राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 60 दिवस के भीतर पूर्व माह तक देय विद्युत शुल्क, ब्याज सहित राशि का भुगतान किए जाने पर ही प्राप्त होगी।"

अटल नगर, दिनांक 11 अक्टूबर 2022

क्रमांक 11026/डी. 101/21-अ/प्रारू./छ. ग./22. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग का समसंख्यक अधिनियम दिनांक 11-10-2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार काटिया, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 17 of 2022)

THE CHHATTISGARH ELECTRICITY DUTY (AMENDMENT)
ACT, 2022.

An Act further to amend the Chhattisgarh Electricity Duty Act, 1949 (No. X of 1949).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Seventy-third Year of the Republic of India, as follows:-

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Electricity Duty (Amendment) Act, 2022. **Short title, extent and commencement.**
- (2) It extends to the whole State of Chhattisgarh.
- (3) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
2. For Schedule, the following Schedule shall be substituted, namely:- **Amendment of Schedule.**

"SCHEDULE
(See Section 3)

RATES OF DUTY

PART-A
[See Section 3 (1) (a)]

S.No.	Consumer Category	Consumed Electricity (In Unit)	Rate of Duty in percentage of energy charges notified in the tariff order
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Domestic Consumer.	On all consumed units	11 percent
2.	Non-Domestic Consumer.	On all consumed units	17 percent
3.	Mines (Other than captive mines of cement industries).	On all consumed units	56 percent
4.	Cement industries (including its captive mines).	On all consumed units	21 percent
5.	LT Industries upto 25 HP.	On all consumed units	04 percent
6.	LT Industries above 25 HP but upto 75 HP.	On all consumed units	05 percent
7.	LT Industries above 75 HP but upto 100 HP.	On all consumed units	07 percent
8.	LT Industries above 100 HP but upto 150 HP.	On all consumed units	08 percent
9.	Other LT Industries above 150 HP which are not included above and Stone Crushers upto 150 HP.	On all consumed units	14 percent
10.	Mini Steel Plant and Ferro Alloy Units having production capacity of upto 2 Million Ton Per Annum	On all consumed units	08 percent

	(MTPA) which are obtaining electricity from the Chhattisgarh State Power Distribution Company Limited and all such steel plant, rolling mill, sponge iron plant, ferro alloy steel casting, integrated steel plant, rice/dal mill, solvent plant, small and medium industries including manufacturing units, poultry farms, agriculture allied and other connections upto 20 MVA obtaining electricity from the Chhattisgarh State Power Distribution Company Limited and other licensee.		
11.	Power Looms, Flour Mills, Oil expeller, thresher and similar other machinery used for agricultural processing.	On all consumed units	04 percent
12.	Textiles mills, weaving mills and spinning mills.	On all consumed units	14 percent
13.	All such consumers with connected load above 20 MVA and non-included in any of the groups mentioned above and non-industrial consumer of above 150 HP (including domestic and non-domestic consumers), shopping mall, other general purpose HT consumer and Stone Crushers having load above 150 HP.	On all consumed units	28 percent
14.	The consumer who generates energy for their own consumption for the purposes included under any of the above categories.	On own consumption units	At the highest rate of Schedule
15.	Electrical energy sold or supplied for consumption for any purpose is used either wholly or partly, without the consent of distributor of electrical energy or producer of electricity, as the case may be.	On all sold or supplied or consumed units, as the case may be.	At the highest rate of the Schedule.

PART-B
[See Section 3 (1) (b)]

S.No.	Consumer Category	Consumed Electricity (In Unit)	Rate of Duty in percentage of energy charges notified in the tariff order
(1)	(2)	(3)	(4)
16.	For Consumption of Electricity obtained through open access from outside the State.	On all the units obtained through Open Access.	The rate of duty shall be calculated as if the electricity is supplied by the Distribution Licensee.

PART-C
[See Section 3 (1) (c)]

S.No.	Consumer Category	Consumed Electricity (In Unit)	Rate of Duty in percentage of energy charges notified in the tariff order
(1)	(2)	(3)	(4)
17.	Electricity sold or supplied by Generating Company, Captive Generating Plant and Producer to the State-owned distribution and trading licensee.	On all sold or supplied units	7 paise per unit
18.	Electricity sold or supplied by Generating Company, Captive Generating Plant and Producer to any other consumer in the State.	On all sold or supplied units	The rate of duty shall be same as if supplied by the distribution license to that consumer.
19.	For the electricity consumed by Generating Company, Captive Generating plant and Producer for their auxiliary consumption and for their own consumption.	On self consumed units including auxiliary consumptions.	21 percent of the tariff which would have been applicable if the electricity is supplied by the distribution licensee.
20.	All such Steel Plant having production capacity of less than 2 Million Ton per annum (MTPA) which are consuming electricity generated from its captive power plant for its owned steel units.	On all consumed units	21 paise per unit
21.	Auxiliary consumption of captive power plant installed in all such steel plant having production capacity of less than 2 Million Ton Per Annum (MTPA)	On all consumed units	44 paise per unit
22.	All such steel Plants having production capacity of more than 2 Million Ton per Annum, (MTPA) which are consuming electricity generated from its captive	On all consumed units	66 paise per unit

	power plants in its owned steel unit and on its auxiliary consumption.		
23.	For the electricity consumed by the Generating Company, Captive Generating Plants and Producers of Private/Public Sector of the State, who are not supplying power at Energy (variable) charges to the State, for their auxiliary consumption and their own consumption.	On all consumed units	21 percent of rate of average cost of supply indicated in the tariff order.
24.	For the electricity consumed by the Generating Company, Captive Generating Plants and producers of Private/Public Sector of the State, who are supplying power at Energy (Variable) charges to the State, for their auxiliary consumption and their own consumption.	On all consumed units	21 percent of average cost of supply till 30 th September, 2022 and thereafter 14 percent of rate of average cost of supply in the tariff order from 1st October, 2022 or date commercial production whichever is later till 12 years and thereafter the rate of the average cost of supply for time being in force

Note-

1. "Billing Month or Month" means a period of about thirty days between the two consecutive meter readings for the purpose of billing in the case of monthly billing.
2. "Mines" means mines as defined under clause (j) of Section 2 of the Mines Act, 1952 (No. 36 of 1952) and also includes the premises or machinery situated in and adjacent to a mine and used for crushing, processing, treating or transporting the mineral.
3. "Tariff" means the rate of energy determined by the Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission under Section 86 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003).
4. The Electricity Duty shall be calculated on the basis of actual percentage of tariff in a month. As for as fraction of 50 paise is concerned, 50 paise and above shall be rounded off to the next higher rupee and less than 50 paise shall be ignored.
5. Eligibility for concession of private electricity producer:- Such electricity producer of private sector included in serial number 24, on which amount of electricity duty on auxiliary consumption is due, then they shall have the facility of paying electricity duty of 12 percent of average cost of supply from 1st October, 2022 or the Commercial Production, whichever is later, till 12 years and thereafter at the rate of the average cost of supply for the time being in force, only in case of payment of electricity duty till last month along with interest has been received from them within 60 days of publication of this in Official Gazetted."